न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1660 सन 2026

CNR No. UPSP 01004430 2026

संजय कुमार पुत्र सत्यपाल निवासी खालिदपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अं.स. 233/2025
धारा–318(4), 61(2) बी0एन0एस0
थाना सदर बाजार, जिला–सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

01.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **संजय कुमार** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किये गये है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि वादी नवीन कुमार द्वारा थाना सदर बाजार पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि विपक्षीगण सुशील कुमार, संजीव कुमार व संजय कुमार द्वारा स्वॅय को जय एग्रो बायो साईन्स प्रा0लि0नामक की एक कम्पनी का एम0डी0/पार्टनर होना जाहिर करते हुए, उक्त कम्पनी द्वारा जैविक खाद उत्पादन हेतु केचुआ बैड लगाने और इस कार्य से किसानो की आय बढने तथा खेती के लिए जैविक खाद तैयार हेतु कुल 120बैड लाने का आश्वासन देकर वादी से उक्त कम्पनी में कुल अंकन–12,20,000/रू0 निवेश कराके लिए। इसके बाद विपक्षीगण ने केवल 25 बैड लगा कर वादी के साथ धोखा धडी की गयी है। दिनांक 07.09.2024 को जब वादी विपक्षीगण से मिलने उनके कार्यालय पर गया तो विपक्षीगण द्वारा वादी को जाति सूचक शब्दो से सम्बोधित करते हुए गाली देते व मारपीट करते हुए उसके पैसे देने से इन्कार कर दिया गया।

वादी के उक्त प्रार्थनापत्र पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिकथनो का समर्थन करते हुए यह बहस की गई है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी के के साथ कोई धोखाधडी नहीं की गयी है। अभियुक्त द्वारा वादी से नगद या खाता के माध्यम से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है। वादी के द्वारा स्वॅय कम्पनी से सम्पर्क कर कम्पनी में अपना पैसा लगाया। वादी द्वारा स्वॅय कथित कम्पनी में एजेन्ट के रूप में कार्य किया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास किसी प्रकार नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी से कथित फर्जी कम्पनी में धनराशि निवेशित कराके, उक्त धनराशि हडप कर ली गयी है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखा धडी कर बेईमानीपूर्वक नाजायज

लाभ अर्जित करने हेतु फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मिथ्या कम्पनी बनाकर कथित कम्पनी में निवेश करने पर लाभ होने का विश्वास दिलाते हुए वादी से कथित मिथ्या कम्पनी में रूपये निवेश कराके, उनकी धनराशि हडपने का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक/अभियुक्त इस मामले में नामजद है। केस डायरी के अनुसार विवेचक द्वारा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के घर पर दबिश दिये जाने पर अभियुक्त घर पर न मिलना तथा विवेचक द्वारा अभियुक्त के परिजनो को धारा–35(3) बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानो से अवगत कराते हुए अभियुक्त को विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर मामले के सन्दर्भ में स्वॅय का बयान अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में हिदायत दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न करके घर से लगातार फरार होने के कारण, विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ साथ आवेदक/अभियुक्त की भी प्रस्तुत मामले में संलिप्तता पाते हुए, आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना जारी रखते हुए अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया जाना परिलक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित जय एग्रो कम्पनी में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर इस मामले के वादी पुत्र व भतीजे के साथ साथ ग्रामीण परिवेश के अनेको अन्य भोले भाले किसानो से भ्झी कथित कम्पनी में निवेश के नाम पर धनराशि प्राप्त कर उनकी धनराशि को हडप कर ली गयी है, जिसके सन्दर्भ में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ साथ आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध भी इस मामले के अतिरिक्त अन्य अभियोग भी पंजीकृत है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आपराधिक इतिहास में अभियुक्त संजय उर्फ संजय चौहान के विरूद्ध निम्न आपराधिक अभियोग पंजीकृत होना दर्शित है :–

1.मु0अ0सं0–317/2025 धारा–316(2),318(4) बी0एन0एस0 थाना बेहट जिला सहारनपुर।

2.मु0अ0सं0–478/2025 धारा–316(2),318(4) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

3.मु0अ0सं0–188/2025 धारा–318(4),316(2) बी0एन0एस0 थाना सरसावा सहारनपुर।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त इसी प्रकार के अपराध करने का अभयस्त है तथा उसके द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जनता के भोले भाले लोगो के साथ धोखा धडी कर उन्हे आर्थिक क्षति कारित करने जैसा अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने के कारण उसके विरूद्ध वर्तमान में भी विवेचना प्रचलित है जबकि इस मामले में अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त को इस मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **संजय कुमार** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को प्रेषित की जाये।

दिनांक 01.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891